मैनेजमेंट फंडा

एन. रघुरामन
मैनेजमेंट गुरु, raghu@dbcorp.in



सच्चे प्यार के लिए 'ना' कहने की हिम्मत क्यों जरूरी है?

पिछले हफ्ते कन्याकुमारी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मधुमिता अपने बिजनेसमैन पति के साथ परिवार के लिए शॉपिंग करने गई थीं। लौटकर देखा तो बेडरूम की अलमारी का ताला टूटा था और करीब एक करोड़ रुपए का कीमती सामान गायब था। पुलिस हैरान थी कि चोरों को शाम का वह छोटा-सा समय कैसे पता चला, जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। जांच में जब पुलिस ने मधुमिता की सोशल मीडिया एक्टिविटी देखी तो पुलिसकर्मियों को हैरानी हुई कि रील्स और पोस्ट में वे घर पर अपनी ज्वेलरी और गद्दे पर फैले नोटों के बंडल दिखा रही थीं। बच्चे पर नोटों की बारिश कर रही थीं। जांच अधिकारी ने बताया कि 'उन्होंने ऐसे वीडियो भी अपलोड किए, जिनमें वे परिवार के हर महीने सोना खरीदने की डींगें मार रही थीं। दूसरी रील्स में नियमित तौर पर वे यह खुलासा करती थीं कि परिवार कहां और किस काम से बाहर जा रहा है।'

इस घटना को यह कहकर खारिज मत कीजिए कि 'इस फिजूल बात को पढ़कर समय क्यों बर्बाद करें?' मैं सुन सकता हूं कि आप इसकी बुराई करते हुए 'टट-टटिंग' की आवाज निकाल रहे हैं। पहली बात, मधुमिता की यह हरकत हमें सीखने का एक बड़ा मौका देती है। देखिए, कम से कम आपको यह तो पता चल गया कि ये 'टट-टटिंग' की आवाज कहां सुनाई दे सकती है। इसका मतलब है जीभ को मुंह की ऊपरी सतह से लगाकर ऐसी आवाज निकालना, जिससे असहमति, झुंझलाहट या हल्की निराशा जाहिर हो।

दूसरी बात, मधुमिता की बच्चे पर नोट बरसाने और सोशल मीडिया अटेंशन के लिए इसे फिल्माने की बेवकूफी ने मुझे फ्रेंच नॉवेलिस्ट ऑनरे द बाल्जाक की यह पुरानी कहावत याद दिला दी कि 'हर बड़ी दौलत के पीछे कोई न कोई बड़ा अपराध छिपा होता है।' यह पंक्ति उनके 1835 के फ्रेंच नॉवेल 'ले पेयर गोरियो' से है, जिसका अर्थ है 'फादर गोरियो'। कहानी 1819 के पेरिस में रहने वाले एक बुजुर्ग पिता की है, जो अपनी दो अहसान-फरामोश बेटियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। गोरियो अपनी पूरी दौलत उनके ऐशो-आराम और हाई-सोसायटी में उनकी शादियां कराने पर खर्च करते हैं। जब उनका पैसा खत्म हो जाता है तो बेटियां उन्हें छोड़ जाती हैं और वह अत्यंत गरीबी में मर जाते हैं। इस ट्रेजेडी को देखकर रस्तिन्याक नाम का एक यंग स्टूडेंट सीखता है कि लालच और सामाजिक महत्वाकांक्षा के लिए ईमानदारी छोड़ देना किसी व्यक्ति के चरित्र को नष्ट कर देता है। जब मैंने यह किताब पढ़ी तो इससे मुझे दो बातें सीखने को मिलीं।

बच्चों के लिए यह किताब बताती है कि कैसे सच्ची खुशी प्यार, कृतज्ञता और ईमानदारी से मिलती है, दौलत या सामाजिक हैसियत से नहीं। यह इस बात पर जोर देती है कि सच्चा प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और यह हमें लालच से सावधान भी करती है। सबसे अहम, यह बच्चों को याद दिलाती है कि भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देने के बजाय उन्हें पैरेंट्स के निःस्वार्थ त्याग का सम्मान और कद्र करनी चाहिए। बड़ों को यह भलीभांति बताती है कि भले ही आप खुद भौतिकवाद को न अपनाएं, लेकिन इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि आपकी संपत्ति या ऊर्जा का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। आंख मूंद कर बेटियों की दिखावे-भरी लाइफस्टाइल के लिए पैसा देकर गोरियो ने अनजाने में उसी हाई-सोसायटी करप्शन को बढ़ावा दिया, जिसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। पैसे को लेकर पूरी तरह से बेपरवाही बरतना आपके आसपास के लोगों के लालच को बढ़ावा दे सकता है।

लेकिन दौलत से भरे इस समय में लागू होने वाला सबसे बड़ा सबक यह है कि गोरियो का खुद को पूरी तरह कुर्बान कर देना भी उसकी बेटियों को नहीं बचा पाया। उलटे, इससे उनका दिखावा बढ़ा, स्वार्थ बढ़ा और आखिरकार उनका चरित्र ही बिगड़ गया। यानी, निःस्वार्थ समर्पण की भी सीमा न हो तो वह विनाशकारी हो सकता है। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि स्टेटस से संचालित होने वाली इस दुनिया में कदम रखते समय हमें अपनी आत्मा का बचाव करना चाहिए। यह हमें नैतिकता और मानवीय संवेदना बरकरार रखने की चुनौती देता है, उन हालात में भी जब आप ऐसी दुनिया में घिरे हों, जो इंसान की कीमत सिर्फ उसके बैंक खाते से तय करती है।

इस कॉलम को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

फंडा यह है कि प्यार के नाम पर सब कुछ कुर्बान करना भी यह गारंटी नहीं देता कि नतीजा अच्छा ही होगा। सच्चे प्यार के लिए 'ना' कहने की हिम्मत भी चाहिए, ताकि अपने प्रियजनों को बुरी मनोवृत्तियों से बचाया जा सके।

पेज 1 के शेष

20 हजार करोड़ ट्रैफिक...

सख्ती: अमेरिका में बैंक खाते से वसूली; दुबई में लाइसेंस रिन्यू नहीं

अमेरिका: कैलिफोर्निया में बकाया कोर्ट जुर्माना बैंक खाते से वसूला जा सकता है, वेतन से कटौती हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया: पहले लाइसेंस निलंबित। फिर आदेश के जरिए बैंक खाते या वेतन से रकम वसूली जा सकती है।

नीदरलैंड: जुर्माना समय पर न भरने पर रकम बढ़ती है। भुगतान नहीं करने पर वाहन जब्त किया जा सकता है।

यूएई: बकाया ट्रैफिक जुर्माना चुकाए बिना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होता है।

देश की हार्ट ट्रांसप्लांट...

दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 3500 हार्ट ट्रांसप्लांट सालाना अमेरिका में ही होते हैं। देश में सबसे ज्यादा करीब 900 हार्ट ट्रांसप्लांट कर चुके डॉ. के.आर. बालाकृष्णन बताते हैं कि चेन्नई में सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा है।

भारत-वेस्टइंडीज टी-20 : टिकटों की मारामारी का फायदा उठा रहे साइबर ठग

बुकिंग खुलते ही 2 घंटे में बिके सारे टिकट, अब 10% एडवांस के नाम पर ऑनलाइन ठगी

अभिषेक वर्मा | इंदौर

इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को होने वाले भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में भारी उत्साह है। इसकी बुकिंग खुलने के शुरुआती दो घंटों के भीतर ही सारे टिकट बिक गए थे। अब टिकटों की इसी मारामारी का फायदा साइबर ठग और दलाल उठा रहे हैं। ये जालसाज सोशल मीडिया पर मनचाही गैलरी में सीट दिलाने का दावा कर रहे हैं।

टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए एमपीसीए ने नियम बनाया था कि एक व्यक्ति अधिकतम चार टिकट ही खरीद सकेगा और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। लेकिन सोशल मीडिया पर कई पेज सक्रिय हैं, जो दावा कर रहे हैं कि उनके जरिए एक व्यक्ति चाहे जितने टिकट ले सकता है।

फर्जी स्क्रीनशॉट से भरोसा जीतने की कोशिश

- इन दावों की सच्चाई जानने के लिए जब सोशल मीडिया लिंक के जरिए मोबाइल नंबर (+91810349068 और +916291807810) पर संपर्क किया गया, तो दलालों ने बताया कि उनके पास ईस्ट गैलरी के 1200 रुपए से लेकर साउथ पवेलियन तक के 15 हजार रुपए के टिकट उपलब्ध हैं।
- बुकिंग पक्की करने के लिए दलाल टिकट की कुल कीमत का 10% एडवांस मांग रहे हैं। उसने कहा कि प्रक्रिया एप पर करनी होगी। आप जिस शहर में हैं, वहीं टिकट भेज देंगे। जब गारंटी मांगी गई, तो दलाल ने भरोसा दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर अन्य लोगों द्वारा किए गए पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेज दिए।

गौरतलब है कि इससे पहले जब एमपीसीए ने टिकटों की दरें तक तय नहीं की थी, तब भी सोशल मीडिया पर 800 से 7 हजार रुपए में बुकिंग के दावे किए जा रहे थे।

इंदौर : हाई कोर्ट का शस्त्र लाइसेंस निलंबन पर अहम फैसला

सिर्फ FIR होने पर रद्द नहीं हो सकता हथियारों का लाइसेंस

भास्कर न्यूज़ | इंदौर

हाई कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस के निलंबन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल कोई आपराधिक मामला दर्ज होने या उसके लंबित रहने के आधार पर किसी व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निलंबित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की एकल पीठ ने आदेश दिया कि आयुध अधिनियम की धारा 17 के तहत लाइसेंस निलंबित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी को अपनी स्वतंत्र, तर्कसंगत और संतोषजनक संतुष्टि दर्ज करना अनिवार्य है। मामला मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में पदस्थ एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी से जुड़ा है।

हाई कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने कहा- शस्त्र लाइसेंस राज्य द्वारा दिया गया एक विशेषाधिकार है, जिसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि, निलंबन की शक्ति का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे नहीं किया जा सकता।

भागीरथपुरा कांड की जांच रिपोर्ट होगी सार्वजनिक

इंदौर | भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को 600 से अधिक पन्नों की जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मंजूरी दी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा कि पूरी रिपोर्ट कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इससे 36 मौतों के मामले में जांच के निष्कर्ष और प्रशासनिक जवाबदेही सामने आएगी।

जैकेट के शेष

भगवान के दरबार में...

यहीं धर्म और पब्लिसिटी के बीच की रेखा भी धुंधली होने लगती है। मंदिर वह जगह है जहां इंसान कुछ देर के लिए अपनी बाहरी पहचान से ऊपर उठना चाहता है। वहां अगर पहचान ही सबसे बड़ी चीज बन जाए, तो हम मंदिर में उपस्थित होकर भी उसके अर्थ से दूर हो जाते हैं। मंदिर में जाकर अगर भीड़ हमें पहचान ले, तस्वीरें वायरल हो जाएं और हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, पर भीतर का अहंकार वैसा ही रहे, तो हमने आखिर पाया क्या है? इसके साथ जुड़ा है दूसरा बड़ा सवाल, वीआईपी दर्शन। बड़े मंदिरों में भीड़ और सुरक्षा की व्यवस्थागत जरूरतें बिल्कुल वाजिब हैं। बुजुर्गों, दिव्यांगों और सुरक्षा से जुड़े लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत हो सकती है। लेकिन जब यह संस्कृति एक सामान्य श्रद्धालु को यह महसूस कराने लगे कि भगवान तक पहुंचने के लिए भी पैसा, पद या प्रसिद्धि जरूरी है, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। भगवान की नजर में वीआईपी कौन है? करोड़पति, फिल्म स्टार या वह बुजुर्ग महिला जो घंटों यात्रा करके दो सेकंड के दर्शन के लिए आई है? वह किसान जिसने अपनी पहली फसल अर्पित की? वह बच्चा जिसने अपनी गुल्लक के दस रुपए निकालकर प्रसाद चढ़ाया? हम कहते हैं भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। फिर उनके दरबार तक पहुंचने के रास्ते इतने अलग क्यों हैं? व्यवस्थापन और विशेषाधिकार दो अलग बातें हैं। सुरक्षा कारणों से अलग रास्ता प्रशासनिक आवश्यकता हो सकता है, लेकिन अगर पैसा या प्रसिद्धि लगातार किसी को आम भक्त से ऊपर रखे तो यह धार्मिक समानता के मूल विचार से टकराता है। मंदिर मनुष्य द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ उससे कहीं बड़ा है। वहां राजा और रंक, अभिनेता और किसान, उद्योगपति और मजदूर, अंततः उसी ईश्वर के सामने खड़े होते हैं।

और अगर किसी बड़े व्यक्ति को मंदिर जाने पर सुरक्षा का वास्तविक खतरा है, तो क्या हर बार विशेषाधिकार और भीड़ के बीच से दर्शन करना जरूरी है? सुबह बहुत जल्दी चले जाएं, जब भीड़ कम हो। रात के दर्शन के बाद जाएं। ऐसी व्यवस्था संभव न हो तो वे मंदिर जाना टाल दें। भगवान केवल मंदिर में नहीं हैं। वह घर में हैं, रास्ते में हैं, मन में हैं और हर उस जगह हैं जहां हम किसी दूसरे इंसान के साथ करुणा और सद्भाव से पेश आते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम मंदिर में अहंकार छोड़ने जाते हैं, पर अहंकार भी हमारे साथ अंदर चला जाता है। जिसके पास पैसा है उसे जल्दी दर्शन चाहिए, जिसके पास प्रसिद्धि है उसके साथ कैमरे चाहिए और जिसके पास फॉलोअर्स हैं उसे अपनी उपस्थिति दिखानी है। भगवान के सामने खड़े होकर भी हम अपनी सामाजिक पहचान साथ लेकर खड़े रहते हैं। जबकि मंदिर वह जगह होनी चाहिए जहां कुछ क्षण के लिए हमारी पहचान केवल भक्त की हो। इसीलिए हमारे संतों ने बार-बार भीतर की यात्रा की बात की है। भगवान को खोजने का रास्ता बाहर की भीड़ से अधिक भीतर की शांति से जुड़ा है।

राजनीति में भी मंदिर अब केवल आस्था का विषय नहीं रह गया है। अलग-अलग विचारधाराओं और दलों के नेता मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और उन तस्वीरों को सार्वजनिक करते हैं। यह दृश्य किसी एक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है। चुनावों के आसपास ऐसी धार्मिक यात्राओं और सार्वजनिक पूजा-अर्चना पर राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाते रहे हैं। कुछ लोग इसे अपनी आस्था का स्वाभाविक प्रदर्शन मानते हैं, जबकि आलोचक इसे धार्मिक पहचान के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश मानते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब राजनेता यह दिखाने की होड़ में लग जाएं कि धर्म पर उनका अधिकार बाकी सबसे ज्यादा है। मंदिर किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है और भगवान किसी पार्टी के वोट बैंक नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी...

याचिका में आयोग के मूल रिकॉर्ड पेश करने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच आयोग या एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग को देता है।

यूपीआई पर चार्ज यदि...

बता दें कि यूपीआई से व्यापारियों को होने वाले दो हजार रु. से अधिक के भुगतान पर 0.4% एमडीआर लेने का फैसला 15 अक्टूबर से लागू होगा। एडवोकेट अंजन दत्ता ने जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

दावा- लोगों पर बोझ बढ़ेगा, डिजिटल पेमेंट से दूर भी होंगे : जनहित याचिका में दावा है कि यह ढांचा मनमाना और भेदभावपूर्ण है। कम मुनाफे वाले व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ग्राहकों पर परोक्ष बोझ बढ़ेगा, जिससे लोग डिजिटल पेमेंट से दूर हो सकते हैं।

जाहिर सूचना

कृषि भूमि कस्बा सांवेर तहसील सांवेर जिला इन्दौर पटवारी हल्का नम्बर 15 विकास खण्ड सांवेर (म.प्र.) वहाँ स्थित खसरा नम्बर 85/1/1/1 रकबा 3.802 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने 1. श्री अंशुल पिता श्री देवेन्द्रराव जाति कायस्थ निवासी-12, वीणा नगर, अपोजिट बॉम्बे हॉस्पिटल, विजय नगर, इन्दौर म.प्र. 2. श्री देवाशीष श्री देवेन्द्रराव जाति कायस्थ दोनो निवासी - टी6,-603, ब्लूरिज टाउनशिप इन्फोटेक पार्क (हिंजवडी), मुलशी जिला पुणे महाराष्ट्र से इनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त वर्णित कृषि भूमि को क्रय करने का सौदा किया होकर प्रतिफल की आंशिक राशि अदा कर दी है। उक्त सम्पत्ति पर अन्य किसी भी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, इत्यादि का भार, बोझा, हित, अधिकार, डिक्री, अटेचमेंट हो या इस विक्रय व्यवहार में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिनों में मय लेखी प्रमाण सहित अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात योग्य लिखापढ़ी / विक्रय पत्र पंजीयन मेरे पक्षकार के हित में करवा लिया जावेगा एवं कोई आपत्ति मेरे पक्षकार के हितों पर बंधनकारक नहीं होगी।

आशीष जैन एडव्होकेट
कार्यालय : 141, मंगल सिटी, फर्स्ट फ्लोर, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहा, इन्दौर मो.: 9300926560, 8770020266

जाहिर सूचना

ग्राम करनावद तहसील बागली जिला देवास म.प्र. की निम्न वर्णित भूमि के सम्बंध में।

सर्व सूचित हो कि, हमारे पक्षकार ने नाकोड़ा भैरव इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड रियल स्टेट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री सुमित पिता श्री कैलाशजी नाहर, निवासी 90, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर म.प्र. से उनकी मालकी व कब्जे की ग्राम करनावद तहसील बागली जिला देवास म.प्र. के सर्वे नंबर 2899/1/2 व शामिल नंबर 2903/2 रकबा 0–303 हेक्टर व सर्वे नम्बर 2899/2 व शामिल नंबर 2903/2 रकबा 1–004 हेक्टर, इस प्रकार कुल रकबा 1–307 हेक्टर कृषि भूमि को सर्वभार मुक्त स्थिति में क्रय करने का सौदा किया होकर उस पेटे सारवान बयाना राशि भी हमारे पक्षकार ने उक्त विक्रेता को अदा कर दी है। सदर सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय निकाय का कोई ऋण, भार, चार्ज, आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 7 दिन के अंदर लेखी प्रमाण सहित मिले, अन्यथा बाद मियाद के योग्य लिखा पढ़ी करवा ली जायेगी व किसी भी प्रकार की आपत्ति हमारे पक्षकार एवं उपरोक्त संपत्ति के विक्रय पर बंधनकारक नहीं रहेगी।

पं. देवीप्रसाद शर्मा,
पं. अरविन्द शर्मा "जैमन" (एडव्होकेट्स)
जी /1–2, रॉयल कोर्ट चेम्बर, 28/1 मोती तबेला इंदौर मो. : 98260-72702 , 99263-33393

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने ग्राम सागर विकास खण्ड नालछा तहसील व जिला धार के सर्वे नंबर 230, 231 व 232 की क्रमशः 0.013 हेक्टर, 0.492 हेक्टर व 0.152 हेक्टर इस प्रकार कुल रकबा 0.657 हेक्टर भूमि मेसर्स खालसा एण्ड कंपनी पता 16/1, शक्ति अपार्टमेंट, न्यू पलासिया इन्दौर म.प्र. तर्फे अधिकृत भागीदार श्रीमती पुनीत कौर भाटिया पति श्री मंजीत सिंह भाटिया निवासी बंगला नम्बर 4, 25, पूरणीता कॉलोनी, मिचौली हप्सी, इन्दौर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर प्रतिफल की आंशिक धनराशि का भुगतान भी कर दिया है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था का रहन, कर्ज, डिक्री, चार्ज, मेंटेनेंस, जमानत अथवा अन्य किसी भी प्रकार का भार अथवा बोझ हो तो वह मुझसे निम्नलिखित पते पर मय प्रमाण के इस सूचना प्रकाशन के 07 दिन की अवधि में केवल लिखित में सूचित करे बाद मियाद योग्य लिखापढ़ी का निष्पादन करवा लिया जावेगा व किसी की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

विनय द्विवेदी एडव्होकेट
102 मारूति चेम्बर्स 26/1 मोती तबेला , इन्दौर
मो. 98270–32932, 94259–11683

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा (म.प्र.) 450001

(जनकार्य एवं उद्यान विभाग)

क्रमांक-1338/जन वि./ई-टेंडरिंग/2026 -:: निविदा विज्ञप्ति ::- खण्डवा, दिनांक-15/09/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की निविदा का विस्तृत वेबसाइट http ://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑन लाइन पोर्टल	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_536282_1	Request for Proposal for Appointment of IE for Independent Engineering services for development, implementation and O&M of a Municipal Solid Waste Processing facility of 134 TPD in design-built-finance-operate and transfer (on PPP model) which include waste to bio-gas plant and MRF facility at Municipal Corporation Khandwa, MP.	76,560/-	5,000/-	730 दिन

निविदा ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 15 / 10 / 2026 (शाम 5.30 बजे तक)
निविदा खोलने की दिनांक : 17 / 10 / 2026 (प्रात : 10.30 बजे)

निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाइट http ://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, खण्डवा

कार्यालय नगर परिषद, बिस्टान जिला खरगोन (म.प्र.)

Email Id- cmobistan@mpurban.gov.in

निविदा सूचना क्रमांक/3177/ ई-टेण्डर/2026 बिस्टान, दिनांकः 24/09/2026

द्वितीय ई-निविदा विज्ञप्ति

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों से निम्नांकित कार्यो की निविदा आमंत्रित कि जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्यादेश से कार्य कि समयावधि एवं कार्य कि लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD राशि	निविदा कि अंतिम तिथि
1	2026_UAD_538680_1 Date 28/09/2026	वार्ड क्र. 07 इंद्रावति नदी के पास रिटर्निग वॉल निर्माण कार्य।	06 माह 1,57,30,133/-	12500/- 78651/-	12/10/2026 5.30 PM

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलाईन वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ही किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जायेगा।

संजय कानूनगो
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, बिस्टान

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उपक्रम

जबलपुर अंचल कार्यालयः राईट टाउन, जबलपुर फोनः 0761-2480065, 67, 68

ई- नीलामी द्वारा विक्रय हेतु आम सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 तथा सहपठित नियम 8(6) of 2002 के अंतर्गत की नीलामी के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक अचल संपत्ति के विक्रय की सूचना

इस आम सूचना के द्वारा बैंक के अनर्जक खातेदार, जमानतदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल संपत्तियाँ जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक हैं तथा जिन का कब्जा (सांकेतिक/प्रत्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत लिया जा चुका है। यह संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" "जैसा है जो है" "जहां भी है" तथा "दायित्व रहित" आधार अनर्जक खातों में ऋण की वसूली हेतु दिनांक 15.10.2026 को ई नीलामी द्वारा विक्रय की जाएंगी | अनर्जक खाते, खाताधारक, जमानतदार, बैंक पर बकाया धनराशि, ऑनलाइन नीलामी द्वारा विक्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में किसी तरह का संपत्ति पर भार, संपत्ति पर कब्जे का प्रकार, विक्रय की धनराशि (RESERVE PRICE), नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली पूर्व धनराशि (EMD AMOUNT) इत्यादि की जानकारी निम्नलिखित है-

ऋणी/जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिसकी वसूली हेतु संपत्ति विक्रय की जा रही है	संपत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि की राशि
शाखा - आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर मेसर्स श्री नाकोडा जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री अपने निदेशकों/ गारंटरों/ एलआर के माध्यम से 1. श्री सुशील दोशी, 2. श्री प्रेमचंद दोशी 3. श्री सावन दोशी 4. श्री आनंद दोशी (मृतक) अपने एलआर श्रीमती पूजा के माध्यम से जैन और पहल जैन 5. श्री मृदुल दोषी गारंटर - 1. श्री सुशील पुत्र श्री अमोलकचंद दोशी 2. श्री प्रेमचंद पुत्र अमोलकचंद दोषी 3. श्री सावन पुत्र प्रवीण दोशी 4. श्री आनंद पुत्र प्रकाश जैन (मृतक) अपने कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती पूजा जैन और पहल जैन (प्राकृतिक गुरुडियन - पूजा जैन) के माध्यम से 5. श्री मृदुल पुत्र सुशील दोशी 6. श्री अमोलकचंद पुत्र गुलाबचंद दोशी (मृतक) इसके एलआर श्री सुशील कुमार, प्रकाश चंद और प्रेमचंद के माध्यम से 7. श्रीमती हुकुमबाई पत्नी श्री अमोलकचंद दोशी (मृतक) इसके एलआर श्री सुशील कुमार, प्रकाश चंद और प्रेमचंद के माध्यम से 8. श्रीमती चंद्रकांता पत्नी स्वर्गीय श्री प्रवीण कुमार 9. श्री प्रकाश पुत्र श्री अमोलकचंद दोषी 10. श्रीमती पानकुंवर बाई पत्नी श्री सुशीलकुमार दोशी 11. श्रीमती ममताबाई पत्नी श्री प्रेमचंद दोशी 12. श्री प्रवीण पुत्र अमोलकचंद दोशी सभी निवासी- ग्राम: पडलिया, करही के पास, तहसील: महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.)	Rs.18,77,43,542/- + Unapplied interest on contractual rate w.e.f. 01.11.2019 + penal interest thereon and other charges and expenses	पी.एच नं.56, सर्वे नं. 56/1/1, ग्राम पाडल्या खुर्द, तहसील महेश्वर जिला खरगोन क्षेत्रफल 0.30 हेक्टेयर। मालिक: श्रीमती चंद्रकांता पत्नी प्रवीण कुमार दोषी, श्री सावन पुत्र प्रवीण कुमार दोषी और श्रीमती सोनम पत्नी पीयूष कुमार दोषी	Symbolic	Rs.9690000/- Rs.969000/- Rs.10000/-
		भूखंड (मकान) संख्या पर निर्मित भूमि और भवन के सभी टुकड़े। 270, पाडल्या खुर्द, तहसील महेश्वर जिला. खरगोन का क्षेत्रफल 235.79 वर्ग मीटर है। मालिक: श्री प्रकाश चंद्र, श्री सुशील, श्री प्रेमचंद, सुश्री विजया, श्रीमती चंद्रकांता, श्री गौरव, अमन और सुश्री प्रियल।	Symbolic	Rs.5227000/- Rs.522700/- Rs.10000/-
		पी.एच. न. 57, (पुराना पीएच एन. 56) क्र.सं. 3/11 एवं क्र.सं. 3/10 ग्राम आखीपुरा, तहसील महेश्वर जिला। खरगोन.क्षेत्रफल 0.675+0.659 हेक्टेयर। कुल क्षेत्रफल - 1.334 हेक्टेयर @ 13340.00 वर्गमीटर। मालिक: श्री प्रकाश चंद्र, श्री सुशील, श्री प्रीमचंद, सुश्री विजया, श्रीमती चंद्रकांता, श्री गौरव, अमन और सुश्री प्रियाल	Symbolic	Rs.14174000/- Rs.1417400/- Rs.10000/-

बोलीदाता द्वारा संपत्तियों का निरीक्षण: 08.10.2026 से 09.10.2026 तक, सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच
बोली आवेदन/केवाईसी दस्तावेज़/ईएमडी आदि जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 15.10.2026 से सुबह 11:00 बजे तक
10 मिनट के लिए स्वतः विस्तार के साथ ई-नीलामी की तिथि और समय: 15.10.2026, सुबह 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच।

नीलामी बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com, email: support.baanknet@psballiance.com. Mob.- 8291220220 पद के माध्यम से ऑन-लाइन ई-नीलामी/बोली होगी। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण करें। कृपया ध्यान रखें कि पंजीकरण और केवाईसी अनुमोदन आदि में 2-3 कार्य दिवस लगते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://bankofmaharashtra.bank.in/asset&for&sales&search और https://baanknet.com पद पर दिए गए लिंक को देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारियों Contact details: Incharge Recovery Jabalpur Shri Onkar Kumar (Zonal Manager) - 9823296164, Shri Nikhil S Patil (DZM) - 7387211200, Shri Bhushan Mohite (CM Recovery - Z.O.) - 9923257090, & Shri Hariom Trivedi (CM & Authorised Officer) - 9405719723 से भी संपर्क कर सकते है।

Note - The sales are subject to the order/outcome of any case pending/filed if any before Court/Tribunal

ऋणकर्ता/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी/सहभागी को बिक्री सूचना
उपरोक्त को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत 15 दिनों की सूचना माना जाएगा।

दिनांक- 29/09/2026 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जबलपुर अंचल

जब साथ खेलेगा पूरा परिवार
मिलेगा मौका जीतने का उपहार

दैनिक भास्कर
दिमाग लगाओ इनाम पाओ
250 इनाम हर रोज

कैसे खेलें
1. रोजाना अखबार में छप रही है एक रोचक पहेली।
2. पूरे परिवार के साथ मिलकर हल ढूंढें।
3. क्विज में छपे QR को स्कैन कर सही जवाब भेजें।

डेली 250 इनाम



विजेताओं के नाम देखने के लिए QR स्कैन करें।

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : पीएसईबी मुख्यालय, द मॉल पटियाला-147001
सीआईएनः U40109PB2010SGC033813, वैबसाइट : www.pspcl.in
(कार्यालय : नियंत्रक भंडार एवं निपटान (दक्षिण), पीएसपीसीएल, पटियाला)
(ईमेल : cosandds@gmail.com, मोबाइल नम्बर : 96461-19412, 96461-48165)

स्क्रैप ई-ऑक्शन (इलेक्ट्रॉनिक नीलामी) नोटिस

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड (पीएसपीसीएल) पंजाब भर के विभिन्न ट्रांसफॉर्मर रिसीविंग यार्डो में पड़े लगभग 31445 क्षतिग्रस्त/अनुपयोगी वितरण ट्रांसफॉर्मर (अनुमानित कुल प्रारंभिक मूल्य रुपये 48.79 करोड़) और विभिन्न केंद्रीय भंडारों, टीआरवाई (TRYs) एवं आउटलेट स्टोर्स में पड़े सामान्य स्क्रैप, बैटरी स्क्रैप, ई-कचरा, प्लास्टिक कचरा (अनुमानित कुल प्रारंभिक मूल्य रुपये 6.78 करोड़) के निपटान के लिए 30.09.2026 को एक फॉरवर्ड ई-ऑक्शन आयोजित करेगा।

यह प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग कई लॉट में पेश किया जाएगा। ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/index_new.jsp) पर किया जाएगा। ई-नीलामी के नियम और शर्तें, शुद्धिपत्र (corrigendum) और सामग्री सूची आदि के साथ विस्तृत नीलामी कैटलॉग वेबसाइट (https://www.mstcindia.co.in/content/Forthcoming_e_Auctions_For_All_regions.aspx) और (https://www.pspcl.in/e-auction-notice.aspx) पर उपलब्ध होगा।

1079/12/2026-27/15660 C929/26

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

8वां मंजिल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029
टेली : 2618 9709

केविविआ में वैयक्तिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संविदा आधार पर वैयक्तिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है :

प्रभाग	सलाहकार (नवीकरणीय ऊर्जा)
विनियामक मामले प्रभाग	01

2. कृपया विस्तृत अर्हताओं एवं अपेक्षित अनुभव तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के ब्योरों के लिए केविविआ की वेबसाइट www.cercind.gov.in देखें।
3. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार केविवि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://vacancy.cercind.gov.in/cerc/public के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन की एक हार्ड कॉपी उप प्रमुख (प्रशासन) को उपरिलिखित पते पर दिनांक 27 अक्टूबर 2026, सायं 5.00 बजे तक भेजें।

(राजीव कुमार)
उप प्रमुख (प्रशासन)